प्रहलादराम V/s सीताराम 04/18 R.P.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज |
|---|---|
| 01/09/20 | अभार/पत्रावलियों के अभिवचन. <br> पीठासीन अधिकारी जी निर्धारित पीठासीन अधिकारी अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण अगले उपयुक्त दिनांक 29/09/20 को प्रस्तुत करें। |
| 29/09/20 | अभार/पत्रावलियों के अभिवचन. <br> पीठासीन अधिकारी जी निर्धारित पीठासीन अधिकारी अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण अगले उपयुक्त दिनांक 20.10.20 को प्रस्तुत करें। |
| 24/10/20 | वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार से मौका रिपोर्ट जारियें बगोड़ 2979 दिनांक 7.10.20 प्राप्त हुई जो प्राप्त है। मौका रिपोर्ट में अंकित है कि प्रार्थी आसरा नं. 345 में प्रवेश हेतु अप्रार्थी के जब्त आ.नं. 932/345 में से जरिये समर्पण के सामा प्राप्त कर चुका है। धारा 251A के तहत अब सामा नहीं लेना चाहता है। वकील प्रार्थी को सुना गया। जिन्होंने प्रार्थना पत्र को आरिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के बयान तथा प्रार्थी द्वारा जरिये समर्पण सामा ले लिए जाने की रिपोर्ट के आधार पर हलफनामा प्रपत्र आरिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। <br> अतः प्रार्थी पत्र अधीन धारा 251A KTAct प्रार्थी द्वारा सामा आ.नं. 345 में प्रवेश हेतु अप्रार्थी के आ.नं. 932/345 में से जरिये समर्पण प्राप्त कर लेने से आरिज किया जाता है। पत्रावली अगले नम्बर से अग्रेतर दाखिल दफ्तर हो। <br> अतिरिक्त जिला कलक्टर (एफ.टी.ओ.) बारां |

Scanned with CamScanner